"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2013—आषाढ़ 25, शक 1935

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

अधिसूचना

क्रमांक-एफ-5-5/सात-1/रा./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मुद्रण तथा लेखन सामग्री (लिपिक वर्गीय) सेवा तथा भर्ती नियम 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन"
(नियम 9 देखिए)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ रायपुर	सहायक ग्रेड-3	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिये 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण. **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटाएन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र. 3. हिन्दी कम्प्यूटर टाईपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी).
2.		शीघ्रलेखक	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिये 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण. **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परिषद् से :— (क) **(हिन्दी) शीघ्रलेखक के लिए—** हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी). (ख) **(अंग्रेजी) शीघ्रलेखक के लिए—** अंग्रेजी शीघ्रलेखन प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी). (ग) **द्विभाषी-शीघ्रलेखक के लिए—** ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी). 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा डाटा एंट्री का 10,000 की (Key) टिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी).
3.		स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिये 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण. **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा डाटा एंट्री का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी).

Raipur, the 16th July 2013

NOTIFICATION

No. F-5-5/Seven-1/R/2012.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Printing and Stationary Class-III (Clerical Grade) Services and Recruitment Rules, 2011, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

For Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-III"
(See Rule 9)

S. No. (1)	Name of Department (2)	Name of Service and Post (3)	Minimum age limit (4)	Maximum age limit (5)	Educational Qualification (6)
1.	Government Printing and Stationary Chhattisgarh Raipur.	Assistant Grade-III	18 Years	30 Years (35 Years for domicile of Chhattisgarh)	1. Passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed old Higher Secondary Examination with First year Examination of Graduation Course from any recognized University. 2. One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute. 3. In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).
2.		Stenographer	18 Years	30 Years (35 Years for domicile of Chhattisgarh)	1. Passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed old Higher Secondary Examination with First year Examination of Graduation Course from any recognized University.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					2. From any recognized Board/Institute/ Stenography (Shorthand) Typing Council :— (a) **For Stenographer (Hindi)** —Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (b) **For Stenographer (English)**—Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (c) **For Bilingual Stenographer**—Passed Certificate Course of Hindi & English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). 3. One year Diploma/Certificatc in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).
3.		Steno Typist	18 Years	30 Years (35 Years for domicile of Chhattisgarh)	1. Passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed old Higher Secondary Examination with First year Examination of Graduation Course from any recognized University. 2. 60 words per minute speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). 3. One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रकान्त उइके, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.